



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220059
CG-DL-E-20062020-220059

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723]
No. 1723]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1939(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 136(अ) तारीख 8 जनवरी 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31 के कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.350 तक के भूखंड (औंटा - सिमरिया खंड) के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "8 फरवरी 2020" को "दैनिक जागरण" और "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31 के कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.350 तक (औंटा - सिमरिया खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: पटना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मोकामा				
	गांव का नाम: औंटा				
1	2990	निजी	कृषि	0.147	चंद्रमौलि सिंह वगैरह पिता कपिलदेव सिंह, पशुपति सिंह पिता लक्ष्मी सिंह (2990)
	गांव का नाम: दर्यापुर				
2	831	निजी	कृषि	0.1479	गयमुनिया देवी पति बट्टी नारायण सिंह (831)
3	843	निजी	कृषि	0.0081	जगदीश नारायण सिंह व विजय प्रकाश वगैरह (843)
	गांव का नाम: मरांची				
4	2735	निजी	कृषि	0.0442999	सुबोध कुमार सिंह पिता स्व. अनिरुद्ध सिंह (2735)
			कुल	0.3472999	

[फा.सं. NHAI/12010/02/BGS/2010/Tech/1099/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1939(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 136(E) dated 8th January 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in

the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 31 on the stretch of land from Km. 153.300 to Km. 204.350 (Aunta-Simaria section) in the district of PATNA in the State of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification was published in “Dainik Jagran” and “The Times of India” both dated 8th February 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 153.300 to Km. 204.350 (Aunta-Simaria section) of the National Highway No. 31, in the district of PATNA in the State of BIHAR

State: BIHAR		District: PATNA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mokama				
	Village: Aunta				
1	2990	Private	Agricultural	0.147	Chandramouli Singh etc. Pita Kapil Dev Singh, Pashupati Singh Pita Laxmi Singh 2990
	Village: Dariapur				
2	831	Private	Agricultural	0.1479	Gaymuniya Devi Pati Badri Narayan Singh 831
3	843	Private	Agricultural	0.0081	Jagdish Narayan Singh and Vijay Prakash etc. 843
	Village: Maranchi				
4	2735	Private	Agricultural	0.0442999	Subodh Kumar Singh S/o Late Anirudh Singh 2735
			TOTAL	0.3472999	

[F. No. NHAI/12010/02/BGS/2010/Tech/1099/3D]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.